न्यायलय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	शिवलाल बनाम धासी वगै. मु.नं. 159/21	

14.05.22 आज पत्रावली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में पेश हुई। प्रार्थी वकील व तहसीलदार बैजूपाडा स्वयं उपस्थित आये। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजी खसरा नं 1047, 1523, 1551, 1552, 2062, कुल किता 5 रकबा 0.82 हैक्ट0 एवं 1023, 1024, 1484, 1485, 1495, 1496, कुल किता 6 रकबा 0.66 वाके ग्राम स्थित बडावास तहसील बैजूपाडा जो कि विवादित आराजी है। जिसमें प्रार्थी सा0 देह खातेदार है। प्रार्थी के नाम से चली आ रही उक्त खातेदारी की भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व अधिकारियों द्वारा सहवन से किशनलाल पुत्र नारायण दर्ज कर दिया। जो कि गलत है। प्रार्थी के दस्तावेजों पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में प्रार्थी का सही नाम शिवलाल पुत्र नारायण है। जो सही है। प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड में हुई नाम अशुद्धि के शुद्धिकरण हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी उक्त भूमि में सा0देह खातेदार है। उक्त खातेदारी की भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व अधिकारियों द्वारा सहवन से किशनलाल पुत्र नारायण दर्ज कर दिया। जो कि गलत है। जो कि एक लिपिकिय त्रुटि है। धारा–136 रा0 ले0 ए0 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में हुई नाम अशुद्धि को शुद्ध किया जा सकता है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तथा तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भी प्रार्थी का नाम किशनलाल पुत्र नारायण एवं शिवलाल पुत्र नारायण नाम के एक ही व्यक्ति है तथा राजस्व रिकॉर्ड में किशनलाल पुत्र नारायण के स्थान पर शिवलाल पुत्र नारायण किये जाने की अभिशंषा की। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य पाया जाता है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम वाके ग्राम स्थित बडावास तहसील बैजूपाडा स्थित आराजी खसरा नं. आराजी खसरा नं 1047, 1523, 1551, 1552, 2062, कुल किता 5 रकबा 0.82 हैक्ट0 एवं 1023, 1024, 1484, 1485, 1495, 1496, कुल किता 6 रकबा 0.66 में किशनलाल पुत्र नारायण के स्थान पर शिवलाल पुत्र नारायण कर दुरुस्त किया जावे । तहसीलदार बैजूपाडा को पालना हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो व बाद तकमील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय सुनाया गया ।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
महवा (दौसा)
(न्या. पै. अधिकारी)

सदस्य
राजस्व वैद्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
महवा (दौसा)

Scanned with CamScanner